(184) (60)

निग० 3696/2018/रीवा/भू-रा०

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर कैम्प रीवा. (म0प्र0)

+20=30

1— इन्द्रजीत तिवारी पिता स्व0 शिवशंकर प्रसाद तिवारी उम्र 37 वर्ष, पेशा कृषि,

2— जीतेन्द्र तिवारी तनय स्व0 श्री शिवशंकर प्रसाद तिवारी उम्र 35 वर्ष, पेशा कृषि, दोंनो निवासी ग्राम पहड़िया 365, थाना व तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा म0प्र0 ———**निगरानीकर्तागण**

बनाम

1— सरोज कुमार मिश्र तनय श्री नीलकण्ठ मिश्र उम्र 40 विर्ष, पेशा कृषि, निवासी ग्राम पहड़िया 365, थाना व तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा म0प्र0

2— म0प्र0 राज्य द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त रायपुर कर्चुलियान, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा म0प्र0 ———**गैरनिगरानीकर्तागण**

आवेदन पत्र बावत किये जाने शीघ्र सुनवाई।

मान्यवर्

आवेदन पत्र के आधार निम्न हैं :—

1— यहकि निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी आज दिनांक 14.06.2018 को न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है, उक्त निगरानी के साथ स्थगन आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया जा रहा है।

2— यहकि राजस्व मण्डल की खण्डपीठ दिनांक 20.06.2018 को रीवा में प्रकरण की सुनवाई हेतु बैंठेगी, इस कारण निगरानीकर्ता के उक्त निगरानी प्रकरण की सुनवाई किया जाना तथा स्थगन आवेदन पत्र पर विचार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अस्तु विनय है कि प्रकरण को शीघ्र सुनवाई मे लिया जाकर प्रकरण में सुनवाई किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाए।

दिनांक :— 14/06/2018

निगरानीकर्तागण

1— इन्द्रजीत तिवारी पिता स्व0 शिवशंकर प्रसाद तिवारी

2— जीतेन्द्र तिवारी तनय स्व0 श्री शिवशंकर प्रसाद तिवारी

दोंनो निवासी ग्राम पहड़िया 365, थाना व तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा म0प्र0

द्वारा अधिवक्ता

प्रमोद कुमार पाण्डेय

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक.. R. 3696 रीवा/18 .... जिला.... रीवा ....

.... इन्द्रजीत तिवारी ....विरूद्ध .... सरोज कुमार मिश्रा

1	2	3
15.1.19	1. आवेदक की ओर से श्री अ० प्रमोद कुमार पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त रायपुर कर्चु० .... तहसील रायपुर कर्चु० ....के प्रकरण क्रमांक 103/अ-12/17-18 में पारित आदेश दिनांक 7-5-18 ....के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर........रीवा............ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 25-3-19 ...... को कलेक्टर.....रीवा....... के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

प्रमोद कुमार पाण्डेय